

पत्र संख्या-उ०नि०-28/2007...../रा०

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग संख्या-4 के अन्तर्गत मुख्य योजना बजट शीर्ष '2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ- राज्य योजना- 090 -सचिवालय- 0101- राजभाषा' के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई "2601 विज्ञापन और प्रकाशन" जिसके अंतर्गत प्रचार-प्रसार सम्मिलित है, पर होने वाले व्यय के लिए कुल 36,330/- (छत्तीस हजार तीन सौ तीस) रुपये मात्र की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2. यह राशि उर्दू निदेशालय द्वारा त्रैमासिक उर्दू पत्रिका 'भाषा संगम' के प्रकाशनार्थ व्यय की जाएगी।
3. प्रस्तुत व्यय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा निदेशालय) की वार्षिक योजना 2012-13 की मांग संख्या- 04 के अन्तर्गत बजट शीर्ष- "2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-राज्य योजना- 090 - सचिवालय- 0101-राजभाषा" के अधीन प्राथमिक इकाई "2601 विज्ञापन और प्रकाशन" में यथाउपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इसका विपत्र कोड संख्या-पी०-2052000900101 है
5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-ब-17/बी.एस.जी-51/2012 -422/वि० दिनांक-31.03.12 के अधीन कर्णांकित उद्व्यय के अन्तर्गत है।
6. राज्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5685 वि० (2), दिनांक 08.10.05 एवं संकल्प संख्या-3828 (वि०), दिनांक 12.06.06 में विहित प्रावधान के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, राजभाषा होंगे।
8. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355/वि० (2) दिनांक- 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- उ०नि०-48/2011...../रा०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाती है।

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- उ०नि०-48/2011.....³⁵⁴...../रा०, पटना, दिनांक.....^{17.12.12}

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/लेखा प्रशाखा (तीन प्रतियों में)/बजट प्रशाखा /योजना प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है। संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय कोषांग/आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय को Web page पर upload हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार वर्मा)

संयुक्त सचिव।